फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 47/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/51) **मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड बनाम श्री रामनारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री आर.के.सेठिया - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-4 **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 79/2020 निर्णय दिनांक 12.07.2021 (बउनवानी रामनारायण व अन्य बनाम मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लि.)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 10.01.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 79/2020 निर्णय दिनांक 12.07.2021 (बउनवानी रामनारायण व अन्य बनाम मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लि.) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 क्रमशः श्री रामनारायण, लक्ष्मण, श्रीमती रामसुखीबाई जाट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को पेश कर निवेदन किया कि मौजा मांगरोल प.ह. मांगरोल तहसील निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 662 के आराजी नम्बर 2194 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि उनके खातेदारी में चली आ रही है, जिसके साबिक नम्बर 1879/341 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा है। उक्त भूमि के आपसी बटवारें से उक्त आराजी में से 11 बिस्वा भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज हुई एवं शेष 11 बिस्वा भूमि डालचंद पिता मोतीलाल जाट निवासी के नाम खातेदारी से दर्ज हुई। दोनों पुरानी आराजीयात मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड (आगे कम्पनी लिखा गया) को जरिये बिकाव से उनके नाम नामान्तरकरण संख्या 2713 व 2714 दिनांक 05.08.2010 के उनके नाम दर्ज हुई, जो संवत् 2058-2061 अनुसार है। पुराने आराजी संख्या 1882/343 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि जरिये आपसी सहमति बटवारें से उनके नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है, परन्तु सेटलमेंट के बाद राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से सेटलमेंट के दौराने उनके नाम पर आराजी संख्या 2194 दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजी कम्पनी को बेचान कर दी गई। उक्त आराजी संख्या 2194 कम्पनी के नाम एवं आराजी संख्या 2252 जो कम्पनी के नाम दर्ज कर दी, उसे उनके नाम पर दर्ज की जानी थी। आराजी संख्या 2252 पर उनका एवं आराजी संख्या 2194 पर कम्पनी का कब्जा चला आ रहा है, इसलिए नवीन राजस्व रेकर्ड में पुराने राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार इन्द्राज दुरस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ● उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 12.07.2021 से प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट साबित नहीं होने खारिज किया। उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष अपील दिनांक 31.05.2022 को प्रस्तुत की। अपील के साथ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 47/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/51) **मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड बनाम श्री रामनारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 07.06.2022 दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 15.12.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी, प्रत्यर्थी-4 (राजकीय पेरोकार) उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि आराजी संख्या 2194 तादादी 0.1400 हैक्टेयर मौजा मांगरोल तहसील निम्बाहेडा वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 के खातेदारी में दर्ज है, जिसके विभाजन से पूर्व आराजी नं.1879/341 तादादी 1 बीघा 2 बिस्वा था। पुराने खसरा नम्बर 1879/341 का विभाजन हुआ, विभाजन अनुसार 1/2 हिस्सा 11 बिस्वा भूमि डालचन्द पुत्र मोतीलाल जाट के हिस्सें में आई व 1/2 हिस्सा 11 बिस्वा प्रत्यर्थी-1 से 3 के हिस्से आई और अपने हिस्से अनुसार उनके खातेदारी में पृथक-पृथक दर्ज हुई। आराजी संख्या 1879/341 के विभाजन के बाद प्रत्यर्थी-1 से 3 का 11 बिस्वा हिस्सा तथा डालचन्द पुत्र मोतीलाल जाट निवासी मांगरोल का 11 बिस्वा हिस्सा जिसके आराजी न. 3038/1879/341 हुआ, उपरोक्त दोनों को अपीलार्थी कम्पनी ने पृथक पृथक रूप से खरीद ली, जिसका नामान्तरकरण कम्पनी के नाम 2713 व 2714 दिनांक 05.08.2010 को खोला गया। नामान्तरकरण उक्त वर्णित के अनुसार राजस्व रेकर्ड अंकन संवत् 2058 से 2061 की जमाबंदी में दर्ज हो गया। नवीन सेटलमेंट अनुसार पुराना खसरा नम्बर 1879/341 के नये नम्बर 2194 बने, जो कम्पनी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रत्यर्थी-1 से 3 के नाम दर्ज हो गया। उक्त आशय का इन्द्राज दुरूस्त करने का आवेदन पत्र प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी द्वारा दिनांक 27.01.2021 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतु अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की। डालचन्द पुत्र मोतीलाल जाट से अपीलार्थी कम्पनी ने आराजी संख्या 3338/1879/341 तादादी 11 बिस्वा खरीदी, जो अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है। परन्तु प्रत्यर्थी-1 से 3 की आराजी संख्या 2252 का गलत इन्द्राज अपीलार्थी के नाम नवीन सेटलमेंट में हो गया, जिसको अपीलार्थी के नाम के बजाय प्रत्यर्थी-1 से 3 के नाम पर इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन इन्द्राज दुरस्ती पर तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई, जिसके अनुसार उक्त इन्द्राज दुरस्ती को उचित माना है। नवीन सेटलमेंट अनुसार मौजा मांगरोल में रेस्पोडेंट-1 से 3 एवं अपीलार्थी के खातेदारी के खसरा नम्बरों का गलत इन्द्राज होना स्पष्ट रूप से तहसीलदार निम्बाहेडा के द्वारा प्रस्तुत मौका एवं रेकर्ड का प्रतिवेदन व पर्चा मौका से प्रमाणित है जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत इन्द्राज को अनदेखा कर विधि विरूद्ध निर्णय एवं आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाकयाती भूल की है। कोरोना महामारी के कारण न्यायालय में दिनांक 24.03.2021 से न्यायिक कार्य स्थगित हो गये थे, इसी दौरान रिपोर्ट पेश होना अंकित किया गया एवं प्रतिवेदन तहसीलदार निम्बाहेडा के अनुसार आदेश दने की अधीनस्थ न्यायालय ने कहा परन्तु दिनांक 12.07.2021 को कोई आदेश नहीं लिखाया गया, न ही सुनाया गया व ना ही कोई प्रोसेडिंग लिखी गई। अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी प्रथम बार 04.04.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी से हुई। तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अविलम्ब सहवन से राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील की गई जहां क्षेत्राधिकार न होने से पुनः अपील आप न्यायालय में मय प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 47/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/51) **मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड बनाम श्री रामनारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए-

1. डीएनजे 2021(4) एस.सी. पेज 1167
2. डीएनजे 2021(2) एस.सी. पेज 577
3. आरआरडी 1968 पेज 532

प्रत्यर्थी-4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबा कमी होने से प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो पूर्ण विधिक होने से यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ-पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा तहसीलदार, निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा वांछित इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही को उचित माना। उक्त रिपोर्ट अनसुार प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा गत आराजी संख्या 1878/341, नये नम्बर 2194, को आपसी सहमति से विभाजन से कम्पनी को विक्रय कर दी जिसका अमल ना.स. 2713 व 2714 दिनांक 05.08.2010 से किया गया। प्रत्यर्थी-1 से 3 की गत भू-प्रबन्ध की अन्य आराजी संख्या 1882/343 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा, नये नम्बर 2252 आपसी सहमति बटवारें से उनके नाम दर्ज चली आ रही है। सेटलमेंट की कार्यवाही उपरान्त उक्त आराजी संख्या 2194 जो कम्पनी द्वारा क्रय की गई, उसे आराजी संख्या 2252 दर्ज कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी-1 से 3 की आराजी संख्या 2252 की जगह आराजी संख्या 2194 दर्ज कर दी गई, जो उक्त जांच रिपोर्ट से प्रकट होती है। उक्त जांच रिपोर्ट के विपरित उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा साबिक आराजीयात के रकबे का मिलान न होने से प्रार्थना पत्र धारा-136 निरस्त कर दिया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 47/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/51) **मैसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड बनाम श्री रामनारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह विरोधाभास की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी उपस्थिति थी, जिसके बारे में विस्तृत जांच अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय में किए वर्णन अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 और श्री डालचन्द दौनों से 11-11 बिस्वा भूमि खरीद किये जाने के उज्र प्रस्तुत किये, जिसके अनुसार रकबा पूर्ति होना प्रकट होता है, अधीनस्थ न्यायालय से इस बिन्दु पर भी जांच अपेक्षित थी जो नहीं की गई। उपरोक्त स्थिति से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने पूर्व अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई, इसलिये यह न्यायालय उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2021 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	